

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र० नि०ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र०इ०रि०सं०.....32...../2024 दिनांक19/2/2024
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.
एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) 120बी आईपीसी
(II) अधिनियम.....धाराएँ
(III) अधिनियम.....धाराएँ.....
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराएँ.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....270.....समय.....12.15 PM
(ब) अपराध घटने का दिन.....दिनांक.....समय.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.....समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता -
.....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....
पुलिस थाना.....जिला.....
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :-सूत्र सूचना
(अ) नाम -
(ब) पिता/पति का नाम
(स) जन्म तिथि/वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता.....
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय.....
(ल) पता -
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. श्री सुवालाल पहाडिया पुत्र श्री प्रभात राम निवासी भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल प्लॉट न० डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर हाल उप निदेशक समाज कल्याण विभाग जयपुर।
2. श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया पत्नी श्री सुवालाल पहाडिया निवासी प्लॉट न० डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर।
3. श्री राजकुमार चावला पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी खटीकों का मोहल्ला कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री राजकुमार चावला निवासी खटीकों का मोहल्ला कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया पुत्र श्री प्रभात राम (PAN NUMBER- ABPPP0913P) मूल रूप से भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के रहने वाले हैं एवं वर्तमान में प्लॉट न० डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा

जयपुर में परिवार सहित निवासरत है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया (PAN NUMBER- AMLPP5999C) के साथ हुआ है। श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया एक सामान्य गृहिणी होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र आशीष एवं दक्ष उर्फ लवली है जो वर्तमान में अध्यनरत है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्रों को प्रारम्भ से ही जयपुर के उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा दिलवाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की आम शोहरत जनता के बीच एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की जन्म तिथि 10.07.1969 है, जिसके अनुसार संदिग्ध की सेवानिवृत्ति तिथि 31 जुलाई 2029 है।

संदिग्ध अधिकारी की राज्य सेवा में प्रथम सेवा नियुक्ति दिनांक 01.07.1997 को समाज कल्याण विभाग में परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद पर होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के विरुद्ध कई मर्तबा शिकायतें/प्रकरण विभाग/ थाना स्तर पर दर्ज की गई, जिससे रिकॉर्ड के अनुसार वेतनवृद्धि रोकना, निलम्बित करना आदि संज्ञान में आया है। संदिग्ध अधिकारी विभिन्न स्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहा है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पतियों में भी निवेश किया जाना ज्ञात हुआ है जिनमें प्रमुख रूप से जयपुर शहर, जमवारामगढ, आमेर क्षेत्र में, स्वयं एवं पत्नि तथा बहन/बहनोई एवं बेनामी नामों से आवासीय/वाणिज्यक/कृषि भूमि/भूखण्डों में निवेश किया हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने भ्रष्ट आचरण से अर्जित अवैध राशि से अपनी बहन श्रीमती लक्ष्मी एवं बहनोई राजकुमार चावला (PAN NUMBER- AFRPC3521J) पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी खटीको का मोहल्ला कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर के नाम से ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ में कृषि भूमि पर एक आवासीय कॉलोनी विकसित करना ज्ञात हुआ है। एस0ओ0 के बहनोई श्री राजकुमार चावला के सम्बन्ध में सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री राजकुमार कोई कार्य नहीं करता है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा मकान नं0 सी-162 हरी मार्ग मालवीय नगर जयपुर स्थित मकान वर्ष 2003 में स्वयं के नाम से क़य करना एवं वर्ष 2007 में उसी मकान को अपनी बहन व बहनोई को विक्रय करना तथा आयकर विवरणिका (2011-12 से 2020-21) में एस0ओ0 की पत्नि श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा मकान को किराये पर दिखाकर आय प्रदर्शित करना तथा उक्त परिसम्पति मकान नं0 सी-162 हरी मार्ग मालवीय नगर जयपुर में एस0ओ0 की पत्नि श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा 100 प्रतिशत शेयर होना आयकर विवरणिका में अंकित करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। गोपनीय सत्यापन से एस0ओ0 द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध आय को परिसम्पतियों में निवेश करना जानकारी से सामने आया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया को ग्राम पंचायत भानपुर कलां जमवारामगढ में पूर्व में सरपंच का चुनाव लडवाया, जिसमें लाखों रूपये खर्च किये जाने की आम चर्चा तथा चुनावों में विजय प्राप्त कर पुरे पांच वर्ष तक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाना ज्ञात हुआ। जिस बाबत ग्रामीणों द्वारा कई बार सरपंच कार्यकाल के दौरान शिकायतें भी करना जानकारी से सामने आया है। संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी व इसके परिजनों द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पतियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर व परिवारजनों की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पतियां:-

क्रं सं.	परिसम्पति का विवरण	परिसम्पति का मूल्य
1	शून्य	—

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर व परिवारजनों के नाम से सेवाकाल चैक पिरियड सेवा वर्ष 1997 से अब तक अर्जित परिसम्पतियां:-

क्रं सं.	परिसम्पति का विवरण	परिसम्पति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया ने स्वयं के नाम एक आवासीय प्लॉट संख्या बी-282 क्षेत्रफल 214.53 वर्गगज, मालवीय नगर, जयपुर दिनांक 29.09.2006 को जरिये रजिस्ट्री	45,57,281 / रूपये

	30,16,221 / -रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 2,11,060 / - खरीद किया गया व उक्त आवासीय प्लॉट में मकान निर्माण अनुमानित 1900 वर्गफुट में होने का अनुमान है, इस प्रकार वर्ष 2006 की निर्माण दर प्रति वर्गफुट 700 रूपये के हिसाब से 13,30,000 / -रूपये खर्च करने पर कुल 45,57,281 / -रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया ने स्वयं के नाम एक मकान संख्या डी-67 क्षेत्रफल 379.21 वर्गगज, आनंद विहार, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर दिनांक 04.03.2017 को जरिये रजिस्ट्री 94,00,000 / -रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 6,58,300 / - में खरीद कर कुल 1,0058,300 / -रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,0058,300 / -रूपये
3.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया ने एक मकान संख्या सी-162 हरिमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर दिनांक 09.12.2003 को अनुमानित 7,25,000 / रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 27,300 / सहित कुल 7,52,300 रूपये में खरीद किया, उक्त मकान की रजिस्ट्री में ग्राउण्ड फ्लॉर पर निर्माण-तीन कमरे, एक लेटबाथ, एक किचन, बाउण्ड्री वाल व सीढीयों के निर्माण का उल्लेख है, तत्पश्चात एस0ओ0 द्वारा दिनांक 11.04.2007 को उक्त मकान को अपने बहनोई श्री राजकुमार व बहन श्रीमती लक्ष्मी को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया, परन्तु वर्तमान में उक्त मकान का विधुत कनेक्शन बिल एस0ओ0 के स्वयं के नाम से है, एवं एस0ओ0 द्वारा अपनी आयकर विवरणिका वर्ष 2019-20 व 2020-21 में अपना पता उक्त मकान को दर्शाया है एवं एस0ओ0 की पत्नि श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा अपनी आयकर विवरणिका वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक लगातार उक्त परिसम्पति को अपना पता एवं उससे वार्षिक आय होना दर्शा रखा है, अतः एस0ओ0 द्वारा उक्त परिसम्पति को छिपाने के उद्देश्य से अपने बहनोई श्री राजकुमार व बहन श्रीमती लक्ष्मी के नाम करवाना ज्ञात हुआ है, जबकि गोपनीय सूत्रों से उक्त परिसम्पति पर मालिकाना हक एस0ओ0 का स्वयं का होना जानकारी से सामने आया है।	7,52,300 / -रूपये
4.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/05 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 58 दिनांक 27.05.2005 को जरिये रजिस्ट्री 1,89,000 रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 7490 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,96,490 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,96,490 / रूपये
5.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/04 रकबा 3 बीघा में से 02/03 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 57 दिनांक 15.06.2005 को जरिये रजिस्ट्री 1,26,000 रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 3390 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,29,390 / रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,29,390 / रूपये
6.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड	64,300 / रूपये

	खसरा नम्बर 55 दिनांक 18.05.2006 को जरिये रजिस्ट्री 29,970 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 1400 रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 31,370/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
13.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/02 रकबा 6 बीघा में से 01/18 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 55 दिनांक 18.05.2006 को जरिये रजिस्ट्री 15,000 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 500 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 15,500/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	15,500 /रूपये
14.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/02 रकबा 6 बीघा में से 01/5 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 55 दिनांक 18.05.2006 को जरिये रजिस्ट्री 75,600 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 1120 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 76,720/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	76,720 /रूपये
15.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/02 रकबा 6 बीघा में से 05/36 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 55 दिनांक 02.11.2007 को जरिये रजिस्ट्री 2,49,990 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 5200 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 2,55,190/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	2,55,190 /रूपये
16.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम से खरीदशुदा उपरोक्त वर्णित खसरों की कृषि भूमि ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में नया खसरा नम्बर 55,57,58 में एक मकान का निर्माण जो लगभग 5 से 6 वर्ष पुराना व 1500 वर्गफुट में बना हुआ जानकारी से सामने आया है, उक्त मकान की निर्माण दर प्रति वर्गफुट 700 रूपये के हिसाब से 10,50,000/-रूपये खर्च करने का अनुमान है। एवं उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ सीमेन्ट पोल व जाली लगवाना एवं गेहूँ की फसल व पोण्ड बनवाने पर 5,50,000/-रूपये खर्च करना जानकारी में आया है, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर लगभग 16,00,000/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	16,00,000 /-रूपये
17.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर में आवासीय कोलोनी अशोक नगर में प्लॉट नम्बर 25 क्षेत्रफल 164.44 वर्गगज दिनांक 16.12.2005 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट जरिये रजिस्ट्री 1,15,108 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 9210 रूपये कुल 1,24,318 रूपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट में संदिग्ध अधिकारी द्वारा कुल 1450 वर्गफुट में मकान का निर्माण 2005-2006 में करवाया गया है, जिस पर तत्कालीन निर्माण दर प्रतिवर्गफुट 600 रूपये के अनुसार 8,70,000 रूपये व मकान की फिनिशिंग आदि के रूप	11,94,318 /-रूपये

	में 2,00,000 रुपये खर्च होना, अतः उक्त प्लॉट की खरीद व मकान निर्माण के रूप में कुल खर्च 11,94,318/-रुपये व्यय करने का अनुमान है।	
18.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम निम्मी जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 203 रकबा 07 बीघा का 2/12 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 348,349 दिनांक 06.12.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 1,16,600 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 8450 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,25,050/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	1,25,050 /रुपये
19.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम निम्मी जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 243 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 365, खसरा नम्बर 272 रकबा 14 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 403 दिनांक 23.12.2006 को जरिये रजिस्ट्री 1,90,000 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 4150 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,94,150/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	1,94,150 /रुपये
20.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम निम्मी जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 199 रकबा 01 बीघा 2 बिस्वा जिसके नया खसरा नम्बर 297 व पुराना खसरा नम्बर 249 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा का 1/4 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 371 दिनांक 19.01.2007 को जरिये रजिस्ट्री 87500 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 3320 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 90,820/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	90,820 /रुपये
21.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम चैनपुरावास साईवाड इन्द्रगढ जमवारामगढ जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 23/02 रकबा 6 बीघा का 5/36 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 55 दिनांक 10.10.2007 को जरिये रजिस्ट्री 2,50,000 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 3950 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 2,53,950/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	2,53,950 /रुपये
22.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम गुवारडी, जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि के पुराना खसरा नम्बर 7/1, 8/137, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा का 01/2 भाग, जिसका नया खसरा नम्बर क्रमशः 28,29,36,34,33,32,35,72,70, व पुराना खसरा नम्बर 08/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 27 दिनांक 30.05.2008 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 19,77,500 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 1,27,980 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 21,05,480/रुपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपने बहनोई श्री राजकुमार के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय	21,05,480 /रुपये

	जानकारी से सामने आया है।	
23.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम गुवारडी, सायपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 12/01 रकबा 10 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 37 व पुराना खसरा नम्बर 12/02 रकबा 03 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 37 व पुराना खसरा नम्बर 13/01 रकबा 4 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 38 व पुराना खसरा नम्बर 15/1 रकबा 1 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 43 व पुराना खसरा नम्बर 16/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण, जिसका नया खसरा नम्बर 44 व पुराना खसरा नम्बर 35/6 रकबा 12 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 65 व पुराना खसरा नम्बर 35/7 रकबा 1 बीघा में से 1/2 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 64 व पुराना खसरा नम्बर 35/5 रकबा 14 बिस्वा का 2/7 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 66 दिनांक 06.08.2008 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 15,85,000 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 1,37,850 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 17,22,850/रुपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपने बहनोई श्री राजकुमार के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय जानकारी से सामने आया है।	17,22,850/रुपये
24.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम चकमाला की नांगल रूपवास जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 16,17,18 रकबा 33 बीघा 14 बिस्वा का 01/18 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 23,24,25,26 दिनांक 27.08.2008 को जरिये रजिस्ट्री 8,43,300 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 55,910 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 8,99,210/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	8,99,210/रुपये
25.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम गुवारडी, सायपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 20/02 रकबा 9 बिस्वा, 20/04 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व 20/05 रकबा 02 बीघा कुल रकबा 5 बीघा का 03/08 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 25 दिनांक 27.08.2008 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 8,43,750 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 71,140 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 9,14,890/रुपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपने बहनोई श्री राजकुमार के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय जानकारी से सामने आया है।	9,14,890/रुपये
26.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम गुवारडी, सायपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 18/01 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 47 दिनांक 29.12.2008 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 2,58,750 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 27,270 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर	2,86,020/रुपये

	कुल खर्च 2,86,020/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपने बहनोई श्री राजकुमार के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय जानकारी से सामने आया है।	
27.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम गुवारडी, सायपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 18/01 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जिसका नया खसरा नम्बर 47 दिनांक 16.12.2010 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 3,39,612 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 19,390 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 3,59,002/रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपने बहनोई श्री राजकुमार के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय जानकारी से सामने आया है।	3,59,002 / रूपये
28.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम घोरेट, भावनी जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 13, 13/470 रकबा 1.77 हैक्टेयर दिनांक 23.02.2018 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 12,16,670 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 85167 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 13,01,837/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	13,01,837 / रूपये
29.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम घोरेट जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 7.7/464, 8, 8/465 रकबा 2.53 हैक्टेयर दिनांक 23.02.2018 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 17,39,082 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 1,21,739 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 18,60,821/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	18,60,821 / रूपये
30.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार के नाम ग्राम घोरेट जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 0.63 हैक्टेयर दिनांक 30.04.2018 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 4,33,052 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 30,314 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 4,63,366/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,63,366 / रूपये
31.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम ग्राम सुरेटी सामरेड कलां, जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 02/93 रकबा 10 बीघा के 1/3 हिस्सा का 43/66 भाग जिसका नया खसरा नम्बर 113,114,115 दिनांक 12.12.2006 को जरिये रजिस्ट्री 4,34,340 रूपये व स्टाम्प ड्युटी 25770 रूपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 4,60,110/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	4,60,110 / रूपये
32.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम ग्राम सुरेटी सामरेड कलां, जमवारामगढ	1,43,740 / रूपये

	जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 02/93 रकबा 10 बीघा के 1/3 हिस्सा का 18/66 भाग जिसका नया खसरा नम्बर 113,114,115 दिनांक 25.02.2009 को जरिये रजिस्ट्री 1,36,350 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 7390 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,43,740/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	
33.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम ग्राम गुवारडी, सायपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 7/1, 8/137 कुल किता दो रकबा 3 बिस्वा का 1/2 हिस्सा, जिसका नया खसरा नम्बर 28,29 व पुराना खसरा नम्बर 8/2, 8/3, 8/4 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा, जिसका नया खसरा नम्बर 30 व पुराना खसरा नम्बर 10/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3 कुल किता 9 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा का 01/2 भाग जिसका नया खसरा नम्बर क्रमशः 36,34,33,32,35,72,70 दिनांक 27.10.2009 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री 22,09,375 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 1,53,670 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 23,63,045/रुपये व्यय करने का अनुमान है, उक्त खसरा की जमीन को एस0ओ0 द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन के जरिये अपनी बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम खरीद कर आवासीय कोलोनी विकसित करना गोपनीय जानकारी से सामने आया है।	23,63,045 /रुपये
34.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम ग्राम सुरेटी सामरेड कलां, जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 02/93 रकबा 10 बीघा के 1/3 हिस्सा में से 1 बीघा जिसका नया खसरा नम्बर 113,114,115 दिनांक 03.12.2009 को जरिये रजिस्ट्री 1,87,500 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 4380 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,91,880/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	1,91,880 /रुपये
35.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम एक प्लॉट नम्बर 33 क्षेत्रफल 100 वर्गगज, अशोक नगर, आमेर, जयपुर दिनांक 11.12.2009 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त प्लॉट जरिये रजिस्ट्री 1,88,000 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 8400 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 1,96,400/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	1,96,400 /रुपये
36.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम ग्राम सुरेटी सामरेड कलां, जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 02/94 रकबा 10 बीघा के 1/3 हिस्सा का 35/66 भाग जिसका नया खसरा नम्बर 112 दिनांक 03.10.2011 को जरिये रजिस्ट्री 4,95,000 रुपये व स्टाम्प ड्युटी 7230 रुपये खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर कुल खर्च 5,02,230/रुपये व्यय करने का अनुमान है।	5,02,230 /रुपये
37.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम एक चौपहिया वाहन किया सेल्टोस (मोडल नम्बर डी1.5 6एमटी एचटीई) आरजे 45 सीएन 3952 वर्ष 2021 में लगभग 12,00,000/-रुपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	12,00,000 /-रुपये

38.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम एक दुपहिया वाहन हीरो स्पलेन्डर आरजे 45 एमपी 2000 वर्ष 2004 में 45,000/- रुपये में खरीद करना ज्ञात हुआ है।	45,000/- रुपये
39.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम बैंक ऑफ बडौदा बैंक में बचत खाता संख्या 29110100021692 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 4049/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	4049/- रुपये
40.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में बचत खाता संख्या 627802010002251 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 72,175/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	72,175/-रुपये
41.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61022520260 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 1561/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1561/- रुपये
42.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई नाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में बचत खाता संख्या 11328140752 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 1200/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	1200/- रुपये
43.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के पुत्र दक्ष पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में बचत खाता संख्या 496502010088174 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 15/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	15/- रुपये
44.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में बचत खाता संख्या 496502010088177 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 57/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	57/- रुपये
45.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम एसबीआई बैंक में बचत खाता संख्या 61001173387 होना ज्ञात हुआ है। जिसमें शेष बैलेंस 6164/रुपये होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	6164/- रुपये
कुल योग		3,48,80,913/-रुपये

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर व परिवारजनों की की चैक पिरियड वर्ष 1997 से अब तक प्राप्त कुल आय:-

क्रं सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा चैक अवधि में आयकर कटौती के पश्चात 1,03,17,407/रुपये आय होने का अनुमान है।	1,03,17,407/रुपये
2.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में हाउस रेंट व कृषि से आय दर्शा रखी है। आयकर कटौती के पश्चात 56,46,456/रुपये आय होने का अनुमान है।	56,46,456/रुपये
3.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के बहनोई श्री राजकुमार चावला द्वारा मात्र आयकर विवरणिका वर्ष 2015-16 व 2016-17 में आय दर्शा रखी है, इसके पश्चात के वर्षों की आईटी0आर0 आयकर विभाग से शून्य प्राप्त हुई है, अतः शुद्ध आय 5,26,380/रुपये होने का अनुमान है।	5,26,380/रुपये
4.	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की बहन लक्ष्मी देवी के नाम एक प्लॉट नम्बर 31, क्षेत्रफल 135 वर्गगज ज्योति नगर आमेर जयपुर दिनांक 19.09.2013 को जरिये रजिस्ट्री व अन्य	2,37,640/-रुपये

	खर्च के रूप में 2,62,360/रूपये में खरीद किया गया, तत्पश्चात उक्त प्लॉट नम्बर 31 का दक्षिणी हिस्सा क्षेत्रफल 90 वर्गगज को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 05.01.2018 को 500000/- रूपये में बेचान कर दिया, जिससे उक्त प्लॉट विक्रय करने के उपरान्त एसओ को 2,37,640/-रूपये की आय होने का अनुमान है।	
5	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में कार लोन खाता संख्या 496506520010448 से दिनांक 28.02.2021 को 5,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की कार लोन के रूप में 5,00,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	5,00,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में कार लोन खाता संख्या 627806650000008 से दिनांक 27.10.2017 को 10,90,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की कार लोन के रूप में 10,90,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	10,90,000/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 11.07.2011 को केसीसी लोन खाता संख्या 627805030000107 पर लोन लेना ज्ञात हुआ है। केसीसी लोन की वर्तमान स्थिति दिनांक 12.01.2024 के अनुसार 20,00,000/-रूपये लोन के रूप में आय होना अनुमानित है।	20,00,000/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 15.03.2017 को लोन खाता संख्या 627806650000007 से 11,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की होम लोन के रूप में 11,00,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	11,00,000/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 02.03.2017 को होम लोन खाता संख्या 627806650000006 से 74,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की होम लोन के रूप में 74,00,000/रूपये आय होना अनुमानित है।	74,00,000/रूपये
कुल योग		2,88,17,883/-

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर व परिवारजनों द्वारा चैक पिरियड वर्ष 1997 से अब तक किये गये व्यय का विवरण :-

क्र. सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा चैक अवधि के दौरान परिवार का नियमानुसार अनुमानित अर्जित आय का एक तिहाई भाग 34,00,000/रूपये असत्यापनिक व्यय करने का अनुमान है।	34,00,000/-रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा चैक अवधि में अपने दोनों पुत्रों में से बड़े पुत्र आशीष को इंजीनीयरिंग की तैयारी हेतु उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से कोचिंग करवाना व छोटे पुत्र दक्ष उर्फ लवली की शिक्षा सेन्ट एन्सलम कॉन्वेन्ट स्कूल से करवाना जानकारी से सामने आया है, दोनो पुत्रों की शिक्षा पर लगभग 18,00,000/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	18,00,000/-रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा चैक अवधि में दैनिक उपयोग के कार्यों में लिये जा रहे चौपहिया वाहन किया	5,00,000/-रूपये

	सेल्टोस व दुपहिया वाहन मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर आदि के ईंधन (डीजल/पेट्रोल), बीमा, इन्श्योरेन्स एवं मेन्टेनेन्स आदि पर लगभग 5,00,000/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
4	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा स्वयं व अपनी पत्नि श्रीमती सोनम उर्फ सम्पति पहाडिया के नाम से खरीद शुदा परिसम्पतियों पर कुल 7 विधुत कनेक्शन लिये गये, जिनमे से एस0ओ0 के 2 कनेक्शन डोमेस्टिक श्रेणी के लिये हुये है एवं एस0ओ0 की पत्नि के नाम 5 कनेक्शन लिये हुये है, जिनमें 3 डोमेस्टिक श्रेणी व 2 एग्रीकल्चर कनेक्शन अलग अलग 7.5 एचपी के ग्राम साईवाड (चकचैनपुरावास) में है, उक्त दोनों विधुत कृषि कनेक्शन, ट्यूबवेल निर्माण व खुदाई, पाईप वगैरह पर लगभग 10,00,000/-रूपये व्यय करने का अनुमान है।	10,00,000/-रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में कार लोन खाता संख्या 496506520010448 से दिनांक 28.02.2021 को 5,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन को दिनांक 12.01.2024 तक मासिक किश्त 7749/-रूपये के जरिये कुल 30 किश्तों के रूप में 2,32,470/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	2,32,470/-रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में होम लोन खाता संख्या 627806650000008 से दिनांक 27.10.2017 को 10,90,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन को दिनांक 12.01.2024 तक मासिक किश्त 8445/-रूपये के जरिये कुल 68 किश्तों के रूप में 5,74,260/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	5,74,260/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया की पत्नी श्रीमती सम्पति उर्फ सोनम पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 11.07.2011 को केसीसी लोन खाता संख्या 627805030000107 है, उक्त केसीसी लोन की वर्तमान स्थिति दिनांक 12.01.2024 के अनुसार 20,00,000/-रूपये लोन है, उक्त केसीसी लोन दिनांक 21.12.2023 को नवीनीकरण हुआ है, उक्त केसीसी लोन में सेंक्शन दिनांक से आज तक अनुमानित ब्याज 8,50,000/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	8,50,000/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 15.03.2017 को लोन खाता संख्या 627806650000007 से 11,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन को दिनांक 12.01.2024 तक मासिक किश्त 9662/-रूपये के जरिये कुल 78 किश्तों के रूप में 7,53,636/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	7,53,636/रूपये
9	संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया के नाम यूनियन बैंक में दिनांक 02.03.2017 को लोन खाता संख्या 627806650000006 से 74,00,000/रूपये का लोन लेना ज्ञात हुआ। उक्त लोन को मासिक किश्तों के जरिये 49,46,336/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	49,46,336/रूपये
	कुल योग	1,40,56,702/-

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पतियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है जो परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा अपनी राजकीय सेवा में नियुक्ति वर्ष 1997 से अब तक एवं एसओ की पत्नी श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया, एसओ के बहनोई श्री राजकुमार व एसओ की बहन श्रीमती लक्ष्मी के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का मूल्य 3,48,80,913/- होना अनुमानित है, जो परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997 से अब तक वेतन एवं भत्ते आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात शुद्ध शेष आय आदि से लगभग 1,03,17,407/-रूपये प्राप्त हुई जो परिशिष्ट 'स' में दर्शाई गई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में कुल आय लगभग 56,46,456/-रूपये है, जो परिशिष्ट 'स' में दर्शाई गई है। एवं एसओ के बहनोई श्री राजकुमार द्वारा अपनी आयकर विवरणिका वर्ष 2015-16 व 2016-17 में वैध आय लगभग 5,26,380/-रूपये एवं एसओ की बहन श्रीमती लक्ष्मी द्वारा अपनी कोई आयकर विवरणिका नहीं दर्शायी है। संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया व उसकी पत्नी सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया द्वारा विभिन्न बैंको से लोन के रूप में आय लगभग 1,20,90,000 है, अतः प्रपत्र 'स' के अनुसार कुल वैध आय 2,88,17,883/- रूपये होने का अनुमान है।


संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1997 से अब तक किये गये कुल व्यय का उल्लेख जो परिशिष्ट 'द' में दर्शाई गई है, जिसके अनुसार राशि कुल 1,40,56,702/-रूपये होने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुवालाल पहाडिया व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों की चैक पिरियड वर्ष 1997 से अब तक के ज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय 2,88,17,883/-रूपये होकर, अर्जित सम्पत्ति का मूल्य 3,48,80,913/-रूपये एवं व्यय राशि 1,40,56,702/-रूपये पाई गई है। अतः सम्पत्ति तथा व्यय राशि का जोड़ 4,89,37,615/-रूपये में से उपरोक्त आय 2,88,17,883/-रूपये को घटाने पर 2,01,19,732/-रूपये की परिसम्पत्तियां वैध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 69.81 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नं. डी-67 क्षेत्रफल 379.21 वर्गगज, आनंद विहार, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर (2) मकान नम्बर सी-162, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (3) मकान नम्बर बी-282, सेन्ट एन्सलम स्कूल स्कूल के सामने वाली स्ट्रीट, मालवीय नगर, जयपुर (4) एसओ के बहनोई श्री राजकुमार का पैतृक मकान खटीकों का मोहल्ला, कुण्डा, आमेर (5) ग्राम चक चैनपुरावास कृषि भूमि पर स्थित मकान (6) एसओ का पैतृक मकान ग्राम भानपुर कलां व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम बैंक ऑफ बडौदा की शाखा हरीमार्ग मालवीय नगर में लॉकर नम्बर 1160ए0000398 होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।


अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री सुवालाल पहाडिया पुत्र श्री प्रभात राम निवासी भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर प्लॉट न0 डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर उप निदेशक समाज कल्याण विभाग जयपुर 2. श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया पत्नी श्री सुवालाल पहाडिया निवासी प्लॉट न0 डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर 3. श्री राजकुमार चावला पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी खटीको का मोहल्ला कुण्डा तहसील आमेर

जिला जयपुर 4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री राजकुमार चावला निवासी खटीकों का मोहल्ला कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर के विरुद्ध वैध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे0 जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री सुवालाल पहाडिया पुत्र श्री प्रभात राम निवासी भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल प्लॉट न0 डी-67 आनंद विहार, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा जयपुर, उप निदेशक समाज कल्याण विभाग जयपुर 2. श्रीमती सम्पती देवी उर्फ सोनम पहाडिया पत्नी श्री सुवालाल पहाडिया निवासी प्लॉट न0 डी-67 आनंद विहार रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर 3. श्री राजकुमार चावला पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी खटीकों का मोहल्ला, कुण्डा तहसील आमेर जिला जयपुर 4. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री राजकुमार चावला निवासी खटीकों का मोहल्ला, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर व अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या 32/2024 दिनांक 19.02.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई. आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।


19/02/24

(विशना राम)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :-156-161

दिनांक :-19.02.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या-1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव समाज कल्याण विभाग,राज0 जयपुर
4. श्रीमान निदेशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर
5. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6. श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर।



(विशना राम)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर